

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफएसएसए/2017/ 417

दिनांक:- 21/4/17

1. राज्य अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान
3. समस्त अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान
4. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

विषय:- मौसम परिवर्तन एवं ग्रीष्म ऋतु में पेय पदार्थ तथा दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के प्रभावी नमूनीकरण एवं निरीक्षण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा पेय पदार्थ तथा दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण एवं निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में आपके अधीन कार्यरत समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रदान करे, कि वे नियमित चल रही कार्यवाही की निरन्तरता में प्रतिदिन दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों एवं पेकेज ड्रिंकिंग वाटर, आईसक्रीम, आईसकेन्डी, स्वीटेन्ड कार्बोनेटेडवाटर, शर्बत, लस्सी व शीतल पेय पदार्थ इत्यादि का प्रभावी नमूनीकरण एवं निरीक्षण करे एवं नमूनीकरण/कार्यवाही की सूचना/रिपोर्ट प्रतिदिन नियमित रूप से एफएसएसए अनुभाग की ईमेल आईडी fssa.2006@yahoo.com पर निम्न प्रपत्रानुसार सॉफ्ट कॉपी (एक्सल शीट) में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र

निरीक्षण एवं नमूनीकरण की सूचना प्रपत्र							
जिले/जोन का नाम:-.....					दिनांक:-.....		
क्र० सं०	नमूनीकरण/ निरीक्षण किये जाने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	नमूनीकरण/ निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठान का नाम व पूर्ण पता	खाद्य/पेय पदार्थ का नाम	नमूना कोड/ क्रमांक	निरीक्षण में पाई गई कमी का विवरण	नष्ट/सीज करवाये गए माल का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 21/4/17

क्रमांक:- एफएसएसए/2017/ 417

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
5. नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
6. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
7. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर। chief.public.analyst@gmail.com
8. खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा।
9. प्रभारी, केन्द्रीय दल (खाद्य सुरक्षा), मुख्यालय।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित को ईमेल कर विभाग की वेबसाईट पर भी अपलोड करे।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर